



फर्द अहकाम


(नियम 26)

अदालत \_\_\_\_\_ मुकाम \_\_\_\_\_  
 मुकदमा \_\_\_\_\_ नं. \_\_\_\_\_ सन् \_\_\_\_\_  
 बनाम \_\_\_\_\_

|                   |                                    |  |
|-------------------|------------------------------------|--|
| क्रमांक<br>संख्या | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख<br>अहकाम जो इस<br>हुक्म की तालीम<br>में जारी हुए |
|-------------------|------------------------------------|--|

मूल अपील खारिज की जा चुकी है इसलिये इस अपील को कागे चलाये जाने का औचित्य नहीं है अतः अपील खारिज करमाई जावे। अधिवक्ता अपीलंगट द्वारा उक्त तथ्य से इन्कार नहीं किया गया। अतः जिला रसद काधिकारी दोसा द्वारा पारित अपीलकीन आदेश दिनांक 24-3-2017 के विरुद्ध अपीलंगट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अन्वयानस्थ, आयात की प्रीविय की प्रति मित्रवाई जावे। पत्रावली लेखल शुमार की जाकर नम्बर से क्रम के एवं संलग्न मूल अपील पत्रावली नं. 82/2018 की जावे। बाद पूर्ण प्रविष्ट लेख गण्डार है। प्रीविय काज दिनांक 28-1-2020 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
 जिला कलेक्टर  
 कोस